



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60366-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 4009/2026

विमल कान्त राय एवं 27 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., महेन्द्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या- 29

माननीय न्यायमूर्ति अरिन्दम सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

(न्यायमूर्ति अरिन्दम सिन्हा द्वारा पारित)

1. याचिकाकर्तागण की ओर से श्री तरुण अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए। वह प्रस्तुत करता है, उसके ग्राहकों ने अनुशासन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में स्नातक किया है। प्राधिकरण द्वारा 27 जनवरी, 2026 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि पात्रता योग्यता के लिए बी.टेक (आईटी) को बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) के बराबर मानकर उन्हें चल रही चयन प्रक्रिया में शामिल करने की याचिकाकर्तागण की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 23 मार्च, 2026 को पूरक हलफनामा सौंपा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 27 जनवरी, 2026 के आक्षेपित आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है।

2. उन्होंने प्रस्तुत किया, अन्य बातों के साथ-साथ सहायक शिक्षक (कंप्यूटर) की भर्ती के लिए 28 जुलाई, 2025 को विज्ञापन दिया गया था। उनके मुवक्किलों को बी.टेक (आईटी) की डिग्री रखने के कारण पात्रता के आधार पर बाहर रखा गया था, आवेदन नहीं कर सके और इसलिए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने पहले रिट-ए संख्या 11618/2025 दायर की थी। उक्त रिट याचिका का निस्तारण 13 अगस्त, 2025 के आदेश पर समन्वय पीठ द्वारा किया गया। श्री अग्रवाल अन्य बातों के साथ-साथ निपटान आदेश के पैराग्राफ 3 से 5 पर भरोसा करते हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"3. प्रस्तुति के समर्थन में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 28 अप्रैल, 2017 को जारी एक अधिसूचना पर भरोसा किया गया है, जिसमें बी.टेक (आईटी) को बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) के समकक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, ये नियम विशेष रूप से प्रश्न में भर्ती पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन इस सबमिशन के समर्थन में इस पर भरोसा किया जा रहा है कि बी.टेक (आईटी) को बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) के बराबर माना जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य के समाज कल्याण विभाग ने अपने द्वारा आयोजित भर्ती में बी.टेक (आईटी) को भी बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) के समकक्ष के रूप में मान्यता दी थी और इसलिए, उक्त योग्यता को संबंधित भर्ती के लिए अर्हक योग्यता के रूप में बाहर करने का कोई अच्छा आधार नहीं है।

4. निर्विवाद रूप से, अन्य डिग्री के साथ किसी भी डिग्री की समानता का मुद्दा विशेषज्ञों का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, हमारी इस सुविचारित राय है कि उक्त मुद्दे को किसी भी विशेषज्ञ निकाय से प्रासंगिक इनपुट प्राप्त करने के बाद पहले प्रत्यर्थी द्वारा पहले उदाहरण में तय किया जाना चाहिए, जिसे वह उचित समझ सकता है।

5. चूंकि आक्षेपित विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28.08.2025 है, इसलिए, जैसा कि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया है, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 को 23 अगस्त, 2025 तक उक्त पहलू पर सकारात्मक रूप से निर्णय लेने के निर्देश के साथ वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हैं, बशर्ते कि याचिकाकर्ता 48 घंटों के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्तमान आदेश दें।

कोई कार्रवाई नहीं होने पर उनके मुवक्किलों ने अवमानना का संज्ञान लिया। 14 नवंबर, 2025 के आदेश द्वारा विद्वान अवमानना न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा पहले ही यह कहने की सिफारिश की जा चुकी है बी.टेक (आईटी) की डिग्री बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) के बराबर है। विशेषज्ञ की राय 4 दिसंबर, 2025 के पत्र द्वारा सूचित की गई थी। राय



को आक्षेपित क्रम में पुनः प्रस्तुत किया गया था और नीचे निकाला और पुनः प्रस्तुत किया गया है।

'सभी कानूनी, शैक्षणिक और न्यायिक तथ्यों की उचित जांच और विचार के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की राय है कि बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) और बी.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी) पूरी तरह से समकक्ष डिग्री हैं और सभी शैक्षणिक, भर्ती और सेवा संबंधी उद्देश्यों के लिए दोनों को समान मान्यता दी जानी चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने सिफारिश की है कि सहायक शिक्षक (कंप्यूटर) के पद के लिए बी.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी) को पात्रता मानदंड में बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) के बराबर मान्यता दी जानी चाहिए।

3. श्री अग्रवाल ने प्रस्तुत किया, समन्वय पीठ द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद, इसके बाद अवमानना और रिकॉर्ड पर विशेषज्ञ की राय के बावजूद, विज्ञापन के अनुसार पात्र माने जाने के लिए उनके मुवक्किलों की मांग को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। वह हस्तक्षेप चाहता है।

4. श्री शरद चंद्र उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित होते हैं। श्री फुजैल अहमद अंसारी, विद्वान अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 (आयोग) की ओर से उपस्थित होते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया, जनवरी, 2025 में अधिसूचित नियम में संशोधन किया गया था। नियम का पालन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। नियम में किसी भी समानता का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद विज्ञापन में समतुल्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए समानता पर याचिकाकर्तागण के प्रकरण में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है।

5. श्री अग्रवाल ने प्रस्तुत किए गए प्रश्न पर, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 17 सितंबर, 2021 के निर्णय पर एक विचार रखा, जिसमें सिविल रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटान किया गया, जिसका मुख्य प्रकरण 2020 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 656 (विकास और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), 2021 (9) एडीजे 59 में था। वह रिपोर्ट



में पैराग्राफ 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, रिट कोर्ट के समक्ष प्रश्न उल्लिखित शैक्षिक डिग्री के समतुल्यता पर था। प्रश्न करने पर वह निर्णय में निष्कर्ष वाले पैराग्राफ 54 का उल्लेख करता है। हम पैराग्राफ से खंड सी और ई के नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं।

"सी. स्वीकार किए जाने वाले समकक्ष योग्यता का मुद्दा केवल तभी उठेगा जहां नियम की परिकल्पना की गई है और यह प्रदान किया जाएगा कि ऐसी योग्यता पर भी विचार किया जा सकता है। संबंधित नियमों में उस संबंध में एक स्पष्ट शर्त के अभाव में, न्यायालय के लिए उस प्रश्न की जांच करने का कोई अवसर नहीं आएगा।

डी.

ई. जहूर अहमद राथर इस प्रस्ताव के लिए एक बाध्यकारी प्राधिकारी है कि योग्यता की समानता एक ऐसा प्रकरण नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कि क्या किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना है, यह भर्ती प्राधिकारी को निर्धारित करने का प्रकरण है। न्यायालय संदीप श्रीराम वराडे के फैसले को भी ध्यान में रखता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समानता के प्रश्न न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे।

(प्रभाव वर्द्धित)

आगे के प्रश्न पर श्री अग्रवाल प्रस्तुत करते हैं, निर्णय अभी भी लंबित अपील का विषय है। तथापि, स्थगन का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इस स्तर पर श्री अंसारी प्रस्तुत करते हैं, वह निर्णय के पैराग्राफ 57 पर भरोसा करते हैं। पैराग्राफ का एक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"57. कार्मिक विभाग के रुख पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और इन कार्यवाहियों में दर्ज किया जा चुका है। न्यायालय को राज्य के अन्य विभागों और घटकों द्वारा समान प्रथा का पालन नहीं करने और अपनाने का कोई औचित्य नहीं मिला। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष रखी जाए ताकि राज्य के अन्य सभी विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं को यह निर्देश दिया जा सके कि अब से यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्यता की समानता का प्रश्न, जहां भर्ती के नियम पात्रता प्रदान करने के रूप में परिकल्पित हैं, किसी भी भर्ती प्रक्रिया के



शुरू होने से पहले निर्धारित किया जाएगा। मुख्य सचिव आज से 1 महीने की अवधि के भीतर इस रिट याचिका के रिकॉर्ड पर इस संबंध में अनुपालन का एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे।

....."

(प्रभाव वर्द्धित)

6. हमने आक्षेपित आदेश में विकास (पूर्वोक्त) के संदर्भ में समानता के संबंध में प्रश्न किया था। निर्णय में स्पष्ट दृष्टिकोण लिया गया और निर्देश दिया गया है, समानता का निर्णय न्यायिक समीक्षा पर नहीं किया जाना है। नियोक्ता को तुल्यता पर निर्धारण करना चाहिए। संशोधित नियम समानता की बात नहीं करता है, लेकिन पात्रता योग्यता पर विकल्प देता है। नियम के अनुसार जारी किया गया विज्ञापन, आवेदन करने की पात्रता के लिए शैक्षिक योग्यता पर समान विकल्पों को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में, नियोक्ता (राज्य) को उस तरीके से भर्ती करने की मांग करने में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जिस तरह से उसने विज्ञापन दिया है।

7. श्री अग्रवाल ने दोहराया कि राज्य द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने राय दी है कि दो डिग्री, बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) और बी.टेक (आईटी) समकक्ष हैं। इसलिए, वह रिट याचिका में प्रार्थना (ii) पर हस्तक्षेप की मांग करता है, ताकि नियम को अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करने पर अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जा सके। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि जैसा कि विकास (पूर्वोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया है, कई अधिकारियों पर निर्भरता पर, यह भर्ती पर नियोक्ता का विशेषाधिकार है। नियोक्ता द्वारा इसके कहने पर विशेषज्ञ की राय प्राप्त नहीं की गई थी। न्यायिक समीक्षा में दिए गए निर्देश के अनुसार इसे बाद में दिया गया था। हालांकि, नियोक्ता ने संशोधित नियम का पालन करते हुए विज्ञापन जारी करने में स्पष्टता व्यक्त की थी, जिसमें आवेदक के आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली योग्यताओं का संकेत दिया गया था।

8. विधि निर्धारित की गयी है, न्यायिक समीक्षा में समानता का निर्णय नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना पर तर्क दे रहे हैं (ii) विशेषज्ञ की राय के आधार पर जो बाद में हमें नियम को रद्द करने का आग्रह करने के लिए प्रदान की गई थी। हस्तक्षेप का मतलब होगा कि हम आक्षेपित आदेश की न्यायिक समीक्षा में बैठकर समकक्षता पर निर्णय लेंगे। इन परिस्थितियों में, हम हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा)

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह- प्रथम)

24 मार्च, 2026

सलीम

Translated Version. Not for Legal Use.